प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 03.08.2026

थाना गोपीगंज पु लस द्वारा महिला से छेड़छाड़, धमकी एवं आत्महत्या के लए दुष्प्रेरित करने के मामले में वांछित अ भयुक्त गरफ्तार।

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

वादी वकास गुप्ता द्वारा थाना गोपीगंज पर ल खत तहरीर दी गई क अ भयुक्त वजय कुमार गौतम उसकी बहन को काफी समय से शादी के लए प्रता ड़त कर रहा है तथा ₹01 लाख की मांग कर परिवार को झूठे मुकदमे में फँसाने एवं जान से मारने की धमकी दे रहा है। दिनांक 02.08.2026 को अ भयुक्त मोबाइल टॉवर पर चढ़कर वादी की बहन से ववाह न होने पर आत्महत्या करने तथा वादी के परिवार को झूठे मुकदमे में फँसाने की धमकी देने लगा, जिसपर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं. 0326/2026, धारा 78, 74, 308(5), 351(3) एवं 226 बीएनएस के अंतर्गत थाना गोपीगंज,जनपद भदोही पर अ भयोग पंजीकृत कर ववेचनात्मक कार्यवाही प्रच लत की गई ।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराध एवं वांछित अ भयुक्तों की गरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में तथा *श्री शुभम अग्रवाल* ,अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण एवं *श्री चमन संह चावड़ा* क्षेत्रा धकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में दिनांक 03.08.2026 को थाना गोपीगंज पु लस द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबं धत वांछित अ भयुक्त वजय कुमार गौतम को धनापुर मोड़ के पास से गरफ्तार कया गया। गरफ्तारी के उपरांत अ भयुक्त को नियमानुसार आवश्यक व धक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-*

 वजय कुमार गौतम पुत्र होरीलाल गौतम, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम घनश्यामपुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।

पंजीकृत अ भयोग:-

मु०अ०सं० 326/2026 धारा 78/74/308(5)/351(3)/226 भारतीय न्याय संहिता (BNS)

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 संतोष कुमार मुख्य आरक्षी संजय सरोज थाना गोपीगंज, जनपद भदोही